lfpdkLr lfpdkvk dh lph&2015

fnlEcj&2015

[kk| vkifr foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	01/लोक(खा.आ.)02/13	श्री श्याम लाल राम , प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी चास के द्वारा आय से अधिक संपति अर्जित करने के संबंध में श्री कमल कुमार चास का परिवाद ।	21.12.2015	निगरानी ब्यूरो झारखण्ड राँची ,द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आनुसार परिवादी का आरोप सही नहीं पाये गया तथा आये से अधिक संपति का मामला सिद्ध नहीं हो पाया । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया।

df"k foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	02/लोक(कृषि)15/13	उपादान एवं ग्रुपबीमा की अन्तर राशि भुगतान करने के संबंध में श्री जगदीश महली का परिवाद ।	23.12.2015	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के सभी देय पावना का भुगतान प्राप्त हो गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया।
2.	01/लोक(कृषि)05/2012	झारखण्ड राज्य विपणन पर्षद राँची के प्रबंध निदेशक श्री उपेन्द्र उराँव एवं उप निदेशक श्री कृष्ण चन्द्र ओहदार के द्वारा भ्रष्ट पणन सचिव को संरक्षण देने एवं पद का दुरूपयोग करते हुए	15.12.2015	सचिव कृषि एवं गन्ना विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया।

		भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के संबंधमें श्री राजमुनी मेहता का शिकयत ।		

i'kqikyu foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	01/लोक(पशु)01/2013	डॉ0 रामकिशोर प्रसाद मेहता जिला पशुपालन पदाधिकरी दुमका द्वारा सरकारी योजनाओं के कियान्वयन में अनियमितता बरतने के संबंध में श्री कमलाकान्त प्रसाद सिन्हा का परिवाद ।	09.12.2015	उपायुक्त दुमका,अपराध अनुसंधान विभाग तथा कार्यालय द्वारा गठित जांच कमिटी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदनों एवं डॉ0 रामकिशोर प्रसाद मेहता जिला पशुपालन पदाधिकरी दुमका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा परिवादी द्वारा समर्पित मंतब्य के अनुसार परिवादीयों द्वारा लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अतः वाद पर अग्रतर कार्रवाई माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया।

fo|qr foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k
1.	01/लोक(विद्युत)04/14	विद्युत विभाग के मनमानी के कारण परिवारिक परेशानी के संबंध में रामसरीखा देवी धुर्वा राँची का परिवाद ।	17.12.2015	प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा मंतब्य के अनुसार परिवादीनी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

;kstuk ,oa fodkl foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns'k

1.	01/लोक(यो.वि)01/13	डॉ0 माधव शरण जिला योजना पदाधिकारी सम्प्रति निजी सचिव विधान सभा अध्यक्ष राँची के द्वारा पद का दुरूपयोग कर करोड़ो की अवैद्य संपति अर्जि करने के संबंध में श्री विभूति चन्द्र दास राँची का परिवाद ।	11.12.2015	भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो राँचीसे प्रप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(यो.वि.)01/14	श्री सुरेश कुमार चौधरी सेवानिवृत जिला सांख्यिकि पदाधिकारी हजारीबाग को वेतन संरक्षण प्रदान करने से संबंधित परिवाद ।	15.12.2015	योजना विकास विभाग से प्राप्त प्रतिवेनद के अनुसार परिवादी वेतन संरक्षण का दावा विचारनीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को संचिकास्त कर दिया गया।

xzkfe.k fodkl foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k
1.	01/लोक(ग्रा.वि.वि.) 01/07	माण्डर प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम चुन्द में विधायक कोष से स्वीकृत शमाशान सेड का निर्माण कार्य में अनियमितता के संबंध में श्री अनन्त कुमार चुन्द का परिवाद ।	23.12.2015	संबंधित विभाग से प्राप्त कृत कारवाई प्रतिवेदन के अनुसार आरोपित लोक सेवक के विरूद्ध समुचित कारवाई कर दिया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा संचिकास्त कर दिया गया ।
2.	02/लोक(ग्रा.वि.वि.)30/13	निर्मल भारत योजनान्तर्गत शौचलय निर्माण की राशि मुखिया एवंज ल सहिया के द्वारा हड़प लिए जाने के संबंध में श्री सोहन दास देवघर का परिवाद ।	15.12.2015	उपायुक्त देवघर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

fofo/k foHkkx

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkn'k

1.	02/लोक(विविध)01/15	पेंशन पुनरीक्षण का लाभ दिनांक 01.01.2006 से प्राप्त रहने के संबंध में मो0 कनक पंजियारा दुमका का परिवाद ।	17.12.2015	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादीनी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादीनी के परिवाद का निराकरण विभाग द्वारा कर दिया गया । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त संचिकास्त कर दिया गया ।

f’kdk;r

de l0	lfpdk l[;k	fo"k;	lfpdkLr dh frfFk	vfre vkns’k
1.	शिकायत सं. 435/2015	PDS दुकान पर कालाबजारी का गलत आरोप लगा कर अनुज्ञप्ति रद्द करने के संबंध में सुशीला देवी, बरही का शिकायत ।	04.12.2015	शिकायत पत्र से स्पष्ट है कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर अनुसंधान की प्रक्रिया पुलिस द्वारा की जा रही है। अतः वाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 446/14	जिला मत्सय कार्यालय लोहरदागा को ठेकेदार का अड्डा बनाए जाने के संबंध में श्री शिबू उराँव व अन्य का शिकायत ।	23.12.2015	शिकायत किसी दुसरे के द्वारा अन्य व्यकित का नाम से भेजा गया है। अतः वाद पर अन्य कारवाई की आवश्सकता नहीं है। वाद को माननीय लोकाायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 446/15	RTI Act के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में श्री भवन कोकर राँची का शिकयत ।	04.12.2015	इस प्रकार के शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इस का सामाधान सूचना के अधिकार अधिनियम में ही अन्तर्निहित है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 382/2015	भ्रष्टाचार करने के संबंध में अध्यक्ष भ्रष्टाचार निरोधी झारखण्ड राज्य कल्याण मंच राँची का शिकायत।	23.12.2015	शिकायत एक अन्य कई प्राधिरो में किया गया है। जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिकनयम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः इसे माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं. 415/2015	सरकार के आदेश पत्रांक 943 दिनांक28.04.2015 को सख्ती से लागू करवाने एवं अध्ययन मासिक	17.12.2015	शिकायत पत्र झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त

		शुल्क की बढ़ोतरी को तत्काल वापस करने संबंधी शिकायत ।		इसे खारिज कर दिया गया ।